38

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 325-तीन/2009 निगरानी - विरूद्ध - आदेश दिनांक 29-1-2007 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 386/2005-06 निगरानी

1- धर्मवीर पुत्र देवेन्द्र कुमार
2- राजकुमार पुत्र राधेश्याम
3- लक्ष्मीनारायण पुत्र देवेन्द्र कुमार
4- महेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पुत्र देवेन्द्रकुमार
5- देवेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल
6- श्रीमती नीलम देवी पत्नि राधेश्याम
7- श्रीमती संगीता पत्नि स्व. मुनेशकुमार
निवासीगण ग्राम रामपुर हाल मुंगावली
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ——आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0एस0धाकड़)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 2-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 386/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-1-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली ने प्रतिवेदन दिनांक 31-10-2005 प्रस्तुत कर कलेक्टर अशोकनगर को अवगत कराया कि नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 52 अ-19/2002-03 में आदेश दिनांक 16-1-2003 पारित करके ग्राम रामपुर मुहाल में कई व्यक्तियों को शासकीय भूमि का अवैधानिक ढंग से बंन्टन किया है। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के प्रतिवेदन पर से कलेक्टर जिला अशोकनगर ने आवेदकगण सहित कुल 14 आवंटितयों के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 1/2005-06 पॅजीबद्ध

किया तथा पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16-6-2006 पारित किया तथा नायव तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण कमांक 52 अ-19/2002-03 में आदेश दिनांक 16-1-2003 से किया गया भूमि बन्टन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 386/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-1-07 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण के आवेदन पर नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 52 अ-19/2002-03 पॅजीबद्ध किया तथा विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया है। ग्रामीणों ने किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ग्राम पंचायत से आवंटन पर अभिमत लिया गया है। प्रत्येक भूमिहीन आवेदक के सम्बन्ध में साक्ष्य ली है तथा पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करके समस्त प्रकिया का पालन करके भूमि बन्टन किया गया है । जब कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष बचाव प्रस्तुत किया गया , कलेक्टर अशोकनगर ने बचाव साक्ष्य एंव लेखी उत्तर के तथ्यों को नजन्दाज करके आदेश पारित किया है जिस पर अपर आयुक्त ने भी ध्यान नहीं दिया है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गलत है जिन्हें निरस्त किया जाकर नायव तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण कमांक 52 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2003 से किये गये भूमि बंटन को यथावत् रखा जावे।

अनावेदक के पैनल लायर का तर्क है कि नायव तहसीलदार ने नियम एंव प्रकिया का पालन नहीं किया है जिसकी पूर्ण विवेचना कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 16-6-2006 में की गई है। सभी आवेदक अपात्र है भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखते हैं उनका भूमि पर न तो कब्जा है और न ही सरकारी कागजात से कब्जा प्रमाणित हुआ है। नायव तहसीलदार मुंगावली ने आदेश दिनांक 16-1-2003 पारित करने के पूर्व जांच नहीं की है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 16-6-2006 से भूमि बन्टन निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त ने भी सही माना है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार करते हुये कलेक्टर जिला अशोकनगर के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक

1/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 16-6-2006 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 386/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-1-07 में की गई विवेचना का अवलोकन किया गया। कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 16-6-2006 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-1-07 में की गई विवेचना अनुसार उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्षो से परिलक्षित है कि वास्तव में नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 52 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2003 से नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अपात्र हितग्राहियों (आवेदकगण) को भूमि आवंटित की है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन तत्समय प्रतिबन्धित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ-30-18/2002/सात-2-ए दिनांक 21-1-2003 जारी करके भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई थी। इसके वाद तहसीलदार /नायव तहसीलदार से भूमि बन्टन की शक्तियॉ वापिस ली जाकर यह शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित की गई हैं। स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में आदेश दिनांक 5-8-2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन प्रतिबन्धित होने के वाद भी नायव तहसीलदार ने अपात्र व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया है जिसके कारण कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 16-6-2006 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 29-1-07 से कलेक्टर के आदेश को पुष्टिकृत किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 386/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-1-07 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर